क्रमांक 964-ज-2-96/10494.—श्री माया राम, पुत्र श्री भूरू राम, निवासी गांव बेरी, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 449-ज-2-79/17128, दिनांक 11 अप्रैल, 1979 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री माया राम की दिनांक 6 अगस्त, 1995 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री माया राम की विधवा श्रीमती छन्नो देवी के नाम रबी, 1996 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

क्रमांक 959-ज-2-96/10498.—श्री सरवन लाल, पुत्र श्री किशन दास, निवासी गांव कम्बासी, तहसील अम्बाला, जिला अम्बाला को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1207-ज-1-83/39806, दिनांक 1 दिसम्बर, 1983 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री सरवन लाल की दिनांक 2 अक्तूबर, 1992 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री सरवन लाल की विधवा श्रीमती शीला देवी के नाम खरीफ, 1992 से 300 रुपये वार्षिक की दर तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

(हस्ताक्षर) . . .,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

14297 CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.